न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—19/2021 (2021/366) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—नारायण आत्मज खेमराज ब्राहम्ण निवासी नारायणखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1—गोपाल आत्मज बद्रीलाल ब्राहम्ण निवासी नारायणखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—शंकरलाल आत्मज बद्रीलाल ब्राहम्ण निवासी नारायणखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—गोकल आत्मज मोहनलाल ब्राहम्ण निवासी नारायणखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—घासीराम आत्मज प्रताप ब्राहम्ण निवासी नारायणखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—प्रेमदेवी पत्नि शंकरलाल ब्राहम्ण निवासी नारायणखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—पारसमल आत्मज हीरालाल ब्राहम्ण निवासी नारायणखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—भवंरलाल आत्मज मोहनलाल ब्राहम्ण निवासी नारायणखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8—रामचन्द्र आत्मज प्रताप ब्राहम्ण निवासी नारायणखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9—श्रीकृष्ण आत्मज तुलसीराम ब्राहम्ण निवासी नारायणखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10—सोहन आत्मज तुलसीराम ब्राहम्ण निवासी नारायणखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. राजु नायक — प्रार्थी अधिवक्ता
2. फारूख मोहम्मद— विपक्षी अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक—04.01.2022

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम नारायणखेड़ा पटवार हल्का नारायणखेड़ा तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थी की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 75 रकबा 0.36 है0 राजस्व खाता संख्या 114 पर दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी मय नक्शा ट्रेस प्रस्तुत की है। प्रार्थी अपनी कृषि आराजियात में संज, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर, पदैल आदि सहित आवागमन करने का एकमात्र रास्ता ग्राम नारायणखेड़ा से होते हुए आगे अन्य व्यक्तियो की आराजी संख्या 87, 88, 89 की पालियो पर होते हुए आगे विपक्षी संख्या 3 लगायत 10 की खातेदारी आराजी संख्या 90 की दक्षिणी पाली पर होते हुए प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 व 2 उक्त आराजी संख्या 75 में प्रवेश करते है। यह रास्ता करीबन 12 फीट चौड़ाई में स्थित है। जिससे प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 व 2 उक्त वर्णित रास्ते का उपयोग उपभोग कर रहे है। प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 व 2 की उक्त आराजियात में आवागमन करने का ओर कोई अन्य रास्ता मौजुद नही है और यही एक मात्र रास्ता है जिससे आवागमन कर अपने खेतो की भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे है। प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 व 2 की आराजी संख्या 75 [illegible] का लघुतम व निकटतम यही रास्ता है किन्तु विपक्षी संख्या 3 लगायत 10 इस [illegible] उपयोग नही करना देना चाहते है। और उन्होने रास्ते की भूमि को थोह[illegible] लगाकर [illegible] कर दिया। उक्त रास्ता प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 व 2 के लिये सुविधा [illegible] अत्यन्त आवश्यक[illegible] रास्ता है। इसके अभाव में प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 व 2 अपनी भूमि के उपयोग से [illegible] हो जायेंगे। अतः श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के नाम आराजी संख्या 75 में आवागमन हेतु विपक्षी संख्या 3 लगायत 10 की आराजी संख्या 90 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.02.18 16:34:28 IST
Reason: SelfAttested

दक्षिणी पाली पर स्थित 12 फीट चौड़े रास्ते से होकर प्रार्थी की आराजी संख्या 75 में प्रवेश करते है स्थित है, उक्त रास्ते को नियमानुसार राशि जमा कर राजस्व रेकार्ड में किस्म गै.मु. बिलानाम रास्ता दर्ज फरमाये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम प्रदान फरमाया जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 08.12.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 लगायत 10 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

विपक्षी संख्या 1 लगायत 10 ने अपने जवाब एवं काउन्टर क्लेम में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए काउन्टर क्लेम में अंकन किया कि विपक्षी संख्या 3 लगायत 10 की अन्य आराजी में आवागमन पैदल, संज, बैल, ट्रेक्टर इत्यादि से प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 व 2 की शामलाती आराजी संख्या 87, 88 की उत्तरी पाली पर होकर सदैव ही करते चले आ रहे है। वर्तमान में खातेदार बद्री, शंकरलाल, गोपाललाल व नारायणलाल पिता खेमराज ब्राहम्ण के बीच शामलाती खाते का विभाजन हुआ जिसमें आराजी संख्या 87/2 रकबा 0.02 है0, 88/2 रकबा 0.01 है0, शामलाती रास्ते के रूप में प्रस्तावित की गई तथा आराजी संख्या 89 में प्रस्तावित रास्ता छोड़ा गया है। इस प्रकार प्रार्थी ने विपक्षीगण की आराजी संख्या 90, 91 में रास्ता चाहा है जो रेकार्ड में दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति नही है। आराजी संख्या 90 में करीब 0.02 है0 शामलाती चाह में जाने हेतु आराजी संख्या 91 में करीब 0.01 है0 भूमि रास्ते के रूप में समायोजित होती है। आराजी संख्या 208, 209, 210, 201, 207 में आवागमन इसी रास्ते से लगती हुई आराजी संख्या 89 है जिसकी पूर्वी पाली तक रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जाना आवश्यक है साथ ही प्रकरण संख्या 10/2021 में विभाजित रास्ते की भूमि जो आराजी संख्या 87/2 व 88/2 कुल रकबा 0.03 है0 शामलाती रूप से छोड़ी गई है को गै.मु. रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जाना है। उक्त भूमि में रास्ता जरिये काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमा राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जाना न्योयाचित है। प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 व 2 की भूमि में प्रकरण संख्या 10/2021 के विभाजन अनुसार छोड़ा गया रास्ता काउन्टर क्लेम के साथ पेश नजरी नक्शे में दर्शित किया गया है। साथ ही पूर्वी पाली पर आराजी संख्या 209 से लगता हुआ रास्ता भी राजस्व रेकार्ड में 12 फीट चौड़ाई में दर्ज किया जाना आवश्यक है ताकि विपक्षीगण भी अपनी भूमियो में आवागमन कर सके। अतः सादर प्रार्थना है कि विपक्षीगण का काउन्टर क्लेम फरमाया जाकर आराजी संख्या 87/2 व 88/2 रकबा 0.03 है0 व आराजी संख्या 89 की पूर्वी पाली पर नवीन आराजी संख्या 209 से लगता हुआ 12 फीट चौड़ाई में रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम जारी फरमाया जावे।

उभयपक्ष अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई।

प्रकरण में दोनो पक्ष एक दुसरे की आराजियात में रास्ता चाह रहे है जिसमें मौका रिपोर्ट की आवश्यकता नही होकर प्रार्थना पत्र एवं काउन्टर क्लेम में दोनो पक्षो द्वारा जो भूमि रास्ते हेतु चाही जा रही है उसको बिलानाम दर्ज करने हेतु उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र व काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

मैंने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब तथा उभयपक्ष अधिवक्ता बहस पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थी द्वारा अपनी आराजी संख्या 75 में आवागमन हेतु आराजी संख्या 90 में रास्ता चाहा गया है एवं विपक्षी 3 लगायत 10 द्वारा भी अपनी आराजी संख्या 209, 208, 207, 210, 211 में आवागमन हेतु रास्ता चाहा गया है जो वर्तमान में आराजी संख्या 87, 88 एवं 89 की मेड़ पर होते हुए दोनो पक्ष अपनी अपनी आराजियात में आवागमन

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.02.18 16:34:28 IST
Reason: SelfAttested

कर रहे है। दोनो पक्षो को अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु रास्ते की आवश्यकता रहती है एवं उभयपक्ष अधिवक्ता की सहमति के आधार पर प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम रास्ता दर्ज करने में सहमति दी गई ताकि भविष्य में दोनो पक्षो के मध्य रास्ते सम्बधि कोई विवाद नही हो। ऐसी स्थिति प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए एवं विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम नारायणखेड़ा तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी संख्या 75 में आवागमन हेतु विपक्षीगण की आराजी संख्या 90 में से रकबा 0.02 है0 यानि 200 वर्गमीटर भूमि पूर्वी मेड़ के सहारे सहारे एवं विपक्षीगण की आराजी संख्या 209 में आवागमन हेतु आराजी संख्या 89 में से 0.02 है0 यानि 200 वर्गमीटर भूमि पूर्वी मेड़ के सहारे सहारे एवं प्रार्थी व विपक्षीगण के आवगमन हेतु आराजी संख्या 87 मे से रकबा 0.02 है0 व आराजी संख्या 88 मे से 0.01 है0 भूमि रास्ते के उपयोग में आ रही है जिसको बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे। उक्त आराजियात में रास्ते हेतु भूमि प्रार्थी एवं विपक्षीगणो के सयुक्त रूप से आवागमन होने से किसी प्रकार की कोई भूमि कीमत नही लेकर रास्ते के बदले रास्ते की भूमि अपने अपने खाते से बिलानाम रास्ते में दर्ज कराने सहमति होने से उक्त रास्ते की भूमि को बिलानाम रास्ता दर्ज किया जाने जाने का आदेश दिया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को हुक्मनामा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04.01.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

04.01.2022

(सुन्दर लाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.02.18 16:34:28 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—19/2021 (2021/366) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—नारायण आत्मज़ खेमराज ब्राहम्ण निवासी नारायणखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1—गोपाल आत्मज बद्रीलाल ब्राहम्ण निवासी नारायणखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—शंकरलाल आत्मज बद्रीलाल ब्राहम्ण निवासी नारायणखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—गोकल आत्मज मोहनलाल ब्राहम्ण निवासी नारायणखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—घासीराम आत्मज प्रताप ब्राहम्ण निवासी नारायणखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—प्रेमदेवी पत्नि शंकरलाल ब्राहम्ण निवासी नारायणखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—पारसमल आत्मज हीरालाल ब्राहम्ण निवासी नारायणखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—भवंरलाल आत्मज मोहनलाल ब्राहम्ण निवासी नारायणखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8—रामचन्द्र आत्मज प्रताप ब्राहम्ण निवासी नारायणखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9—श्रीकृष्ण आत्मज तुलसीराम ब्राहम्ण निवासी नारायणखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10—सोहन आत्मज तुलसीराम ब्राहम्ण निवासी नारायणखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए एवं विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम नारायणखेड़ा तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी संख्या 75 में आवागमन हेतु विपक्षीगण की आराजी संख्या 90 में से रकबा 0.02 है0 यानि 200 वर्गमीटर भूमि पूर्वी मेड़ के सहारे सहारे एवं विपक्षीगण की आराजी संख्या 209 में आवागमन हेतु आराजी संख्या 89 में से 0.02 है0 यानि 200 वर्गमीटर भूमि पूर्वी मेड़ के सहारे सहारे एवं प्रार्थी व विपक्षीगण के आवगमन हेतु आराजी संख्या 87 मे से रकबा 0.02 है0 व आराजी संख्या 88 मे से 0.01 है0 भूमि रास्ते के उपयोग में आ रही है जिसको बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे। उक्त आराजियात में रास्ते हेतु भूमि प्रार्थी एवं विपक्षीगणो के संयुक्त रूप से आवागमन होने से किसी प्रकार की कोई भूमि कीमत नही लेकर रास्ते के बदले रास्ते की भूमि अपने अपने खाते से बिलानाम रास्ते में दर्ज कराने सहमति होने से उक्त रास्ते की भूमि को बिलानाम रास्ता दर्ज किया जाने जाने का आदेश दिया जाता है।

हुक्मनामा आज दिनांक 04.01.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.02.18 16:34:28 IST
Reason: SelfAttested

04.01.2022
(सुन्दरलाल बम्बोड़ा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)